हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

14.12.20

पत्रावली पेश। वकुलाय उपी. वकील प्रार्थिया कागजात बहस करने का निवेदन किया। अतः पत्रावली बहस हेतु दिनांक 17-12-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

17.12.20

पत्रावली पेश। वकुलाय उपी. बहस मूल प्रार्थना पत्र 251 A RTAct की सुनी गई। पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 21.12.20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

21.12.20

पत्रावली पेश। वकुलाय उपी. वकील प्रार्थिया का मूल प्रार्थना पत्र धारा 251-ए को स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर शा. मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

अतः हस्तगत प्रकरण रा.का.अ. की धारा 251 अ में उल्लेखित रास्ता दिया जाने को दोनो ओं को देखा जाना आवश्यक है की :–

1. आत्यंतिक आवश्यकता न केवल सुविधा :–

जरिये प्रार्थना पत्र एवं दौराने बहस प्रार्थी ने दावा किया की उसकी कृषिगत आवश्यकताओं ध्य नजर रखते हुए उसे चाहे गये नजरी नक्शा अनुसार रास्ता की आंत्यतिक आवश्यकता है। प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता का रकबा अधिक प्रभावित होता है । उक्त प्रावधान केवल धा के लिए नहीं है ।

2. अन्य वैकल्पिक साधनो का अभाव :–

प्रार्थी ने जरिये प्रा.पत्र एव विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अपने य तक पहुॅचनें के लिये उसके पास अन्य वैकल्पिक साधनों का अभाव है। मगर प्रार्थी द्वारा त खसरे में रास्ते की मांग की है ख.न. 57 में से रास्ता की मांग की जाती तो कम से कम ा प्रभावित होता। जिसका रकबा भी चाहा गये रास्ते से कम रकबा प्रभावित होता है जो नजरी ा से साबित होता है ।

पत्रावली पर मौजुंद रेकर्ड, एवं अप्रार्थी संख्या 04 से प्राप्त जाचं रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता र्थी एवं अप्रार्थी की बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251 अ एलआरएक्ट को कार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ख.न. 204 गैर मुमकिन नाड़ी यानि तालाब है व ख.न. 58 के केचमेंट ऐरिया यानि पानी उसी एरिया से आता है राजस्थान उच्च न्यायालय के अब्दुल ान प्रकरण के निर्णय अनुसार किसी भी जलग्रहण एवं भण्डारन यानि तालाब या नाडी में पानी ा में किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। तथा प्रार्थी के पास ख.न. 57 में से रास्ते की मांग ने का विकल्प मौजुद होने के बावजुद भी ख.न. 41/546 में से रास्ते की मांग करना न्यायसंगत है क्योंकि उक्त खसरा का मार्ग सरकार भूमि में नाड़ीपायतन में खुलता है प्रार्थी के द्वारा चाहा रास्ता खेत से बहुत लम्बा भी है यानि की (रकबा भी अधिक प्रभावित होता है) जबकि ख.न. प्रार्थी के खेत के बहुत ही पास है तथा रकबा भी कम से कम प्रभावित होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र, पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड, तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट एवं बहस आधार पर प्रार्थी उपरोक्त दोनों बिन्दू को साबित करने में असफल रहने पर प्रार्थी का प्रा.पत्र, र्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) आर. टी. एक्ट को खारिज किया जाता है। पक्षकारान अपना ना खर्चा वहन करें।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

उक्त निर्णय आज दिनांक : 21.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)